









900 वर्ग मीटर में मकान बनाया जा रहा था और छत पड़ने के खिला शटरिंग भी लगा दी गई थी लेकिन जिला प्रशासन को जानकारी होने पर टीम द्वारा पूरे मकान की जांच करते हुए जमीन की पैमाइश कराई गई, तो पता चला कि नगर पालिका परिषद की सरकारी जमीन है। इस पर अवैध रूप से कब्जा करके मकान बनाया जा रहा है जो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है और छत पढ़ना बाकी है, सैकड़ बाद तहसीलदार सदर संयत्तल सिंह के नेतृत्व में टीम ने कार्यवाही करते हुए जेसीबी से अवैध रूप से कब्जा करके बनाए गए मकान को ढहा दिया गया है। गोडा नगर पालिका परिषद के अधिशासी अवैध रूप से संजय कुमार मिश्रा ने बताया अवैध रूप से सिविल लाइन क्षेत्र में सरकारी नजूल की भूमि पर कब्जा करके एक मकान बना लिया गया था और उसकी छत पड़ने वाली थी। जानकारी मिलने पर हम लोगों द्वारा जांच किया गया और जेसीबी के माध्यम से अवैध कब्जे को हटाय़ा गया है। शहर में कई जगहों पर सरकारी नजूल की भूमि पर लोग कब्जा किए हुए हैं पैमाइश कराई गई है जल्दी उन लोगों के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी।



